संख्या–861/नौ–5–2018–73बजट/2018

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– मिशन निदेशक(अमृत), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2– निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक : 02 अप्रैल 2018

विषयः अमृत योजना के कियान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया अमृत योजना के कियान्वयन के संबंध में दिनांक 24.02.2018 को योजना भवन, स्थित सभागार में लखनऊ जोन के समस्त अवर अभियन्ताओं एवं अन्य की बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में अमृत योजना के कियान्वयन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु आये, जो निम्नवत् हैः–

(1) जल संस्थान द्वारा बिलों का समय से सत्यापन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण भुगतान में विलम्ब हो रहा है।

(2) पानी कनेक्शन देने में कहीं–कहीं 06 मीटर से ज्यादा पाईप की आवश्यकता है। अतः आवश्यकतानुसार 30 मीटर तक की पाईप डालने की अनुमति प्रदान की जाय, ताकि अधिक से अधिक कनेक्शन किये जा सके।

(3) बिलों के भुगतान के समय 10 प्रतिशत सिक्योरिटी एवं 10 प्रतिशत मेन्टिनेंस की धनराशि रोक ली जाती है, जबकि वाटर एवं सीवर कनेक्शन की टेस्टिंग कार्य कराते समय ही हो जाती है।

2– उपरोक्त तथ्यों के आलोक में बैठक में निम्न निर्णय लिया गया है–

(1) पेयजल तथा सीवर हाउस कनेक्शन की सूची कनेक्शन के उपरान्त जल निगम द्वारा जल संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त सूची के कम में जल निगम के अभियन्ताओं के एम.बी. तथा सर्टिफिकेशन के आधार पर भुगतान उ0प्र0 जल निगम करेगा। भुगतान हेतु जल संस्थान के सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। पेयजल/सीवर हाउस कनेक्शन की सूची प्राप्त होने के 07 दिन के अन्दर जल संस्थान को यदि कोई आपत्ति हो, तो उसे जल निगम को अवगत करायेगा।

(2) The Uttar Predesh Water Supply & sewerage Act, 1975 के पैरा 66 (बी) में यह प्राविधान है कि एक पेयजल कनेक्शन में 30 मीटर तक पाईप डाली जा सकती है। तद्नुसार मौके की आवश्यकता के दृष्टिगत 30 मीटर तक पाइप डालकर पेयजल कनेक्शन अमृत योजना में किया जा सकता है।

(3) पेयजल हाउस कनेक्शन तथा सीवरेज हाउस कनेक्शन कार्य में कोई भी धनराशि Testing एवं Maintenance मद में नहीं रोकी जायेगी, क्योंकि इन कार्यो में तत्काल ही टेस्टिंग हो जाती है।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Manoj 2.4.18

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

Rathor 2017 G.O. 16

संख्या एवं दिनांक तैदव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-- सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4— समस्त महाप्रबन्धक, जलकल/जल संस्थान, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5-- समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, उत्तर प्रदेश।
6— गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।